Mail/Fax
अति महत्वपूर्ण

बिहार सरकार
अनु0 जाति0 एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–02जी / प्र0क0पदा0(स्था0)–20–07 / 2017– 967

प्रेषक,

गौतम पासवान (बि0प्र0से0),
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उप निदेशक कल्याण
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 20/4/17

विषयः–''बिहार अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली–2010'' के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–508 दिनांक–12.03.2010 के द्वारा ''बिहार अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली–2010'' अधिसूचित किया गया है जिसमें कल्याण पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारियों की नियुक्ति / प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो का उल्लेख है। उक्त नियमावली के **नियम–6(घ) एवं नियम–8** में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:–

''नियम–6(घ) परीक्ष्यमान अवधिः– ''प्रखंड अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति को इस पद पर नियुक्ति की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा। परीक्ष्यमान अवधि की अवधि दो वर्षो की होगी। परीक्ष्यमान की अवधि में सेवा, कार्य कलाप संतोषजनक रहने तथा विभागीय दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करने पर ही प्रखंड अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्टि की जायेगी। परीक्ष्यमान अवधि में कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहने या उनके विरूद्ध गंभीर आरोप होने पर सेवा से मुक्त किया जा सकेगा। सीधे नियुक्ति प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को (परीक्ष्यमान अवधि में) राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में 1 वर्ष के अंदर उतीर्णता प्राप्त कर लेने के पश्चात ही वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा। साथ हीं प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा उतीर्ण होने पर ही प्राप्त हो सकेगी।''

''नियम–8:– राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित मुफ्फसिल लिपिकों के लिए निर्धारित लेखा परीक्षा पत्र–1 एवं पत्र–2 पुस्तक सहित विभागीय परीक्षा में उतीर्ण होना अनिवार्य होगा।''

110 Joint secretary

2–जिलों में पदस्थापित प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों के वेतन वृद्धि के संबंध में उक्त नियमावली के नियम–6(घ) एवं नियम–8 में निहित प्रावधानों के आलोक में वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जानी है।

अतएव निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त नियमावली के नियम–6(घ) एवं नियम–8 के प्रावधानों के आलोक में आपके प्रमंडल/जिला में पदस्थापित जिन प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को हिन्दी–टिप्पण–प्रारूपण परीक्षा में एक वर्ष के अन्दर बगैर उत्तीर्णता प्राप्त किये प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि एवं बगैर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किये द्वितीय एवं अन्य वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी गई है, का समेकित स्पष्ट प्रतिवेदन (सेवा पुस्त की अभिप्रमाणित प्रति के साथ) विभाग को दिनांक–26.04.17 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

19.4.17

(गौतम पासवान)
सरकार के संयुक्त सचिव

111 Joint secretary